(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड 1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 8 अगस्त, 2005

संकल्प

सं0 II/12013/1/2000-रा.भा.(नी.2) : तकनीकी/विज्ञान संबंधी विषयों पर मौलिक रूप से हिन्दी भाषा में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिनांक 20.10.2000 के समसंख्यक संकल्प का अधिक्रमण करते हुए वर्ष, 2005-06 से (वर्ष 2004-05 में प्रकाशित पुस्तकों के लिए) नई पुरस्कार योजना जारी की जाती है जिसका नाम **"राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना"** है । इस योजना के विनियम निम्नलिखित हैं :-

राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान - विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार विनियम

1.नाम : इन विनियमों का नाम "राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार विनियम" है ।

2.परिभाषाएं : इन विनियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(i) "योजना" से अभिप्राय है "तकनीकी/विज्ञान संबंधी विषयों पर मौलिक रूप से हिन्दी भाषा में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा विभाग की पुरस्कार योजना "।

(ii) "पुस्तक"से आशय प्रकाशित पुस्तक से है ।

(iii) "विनियम" से अभिप्राय है : "राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार विनियम"

(iv) "वर्ष" से अभिप्राय है : " वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाएगा "

3.उद्देश्य :

योजना का उद्देश्य तकनीकी/विज्ञान की विभिन्न विधाओं से संबंधित विषयों के बारे में उच्च स्तर के मौलिक हिन्दी साहित्य के सृजन को प्रोत्साहन देना है । इन विषयों में समसामयिक विषय भी सम्मिलित किये जा सकते हैं ।

4.पुरस्कार :

प्रथम पुरस्कार (एक)	- दो लाख रूपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
द्वितीय पुरस्कार (एक)	- एक लाख पच्चीस हजार रूपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
तृतीय पुरस्कार (एक)	- पचहत्तर हजार रूपए, प्रमाण-पत्र तथा स्मृति चिन्ह
सांत्वना पुरस्कार (दस)	- दस हजार रूपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रत्येक को

5.अवधि :

योजना के अंतर्गत किसी वर्ष में पुरस्कार के लिए विचारार्थ पुस्तकें उसके ठीक पिछले वर्ष में प्रकाशित पुस्तकें ही होंगी ।

6.पुरस्कार के लिए पात्रता :

(1) पुस्तक आधुनिक तकनीकी/विज्ञान की विभिन्न विधाओं पर लिखी हो सकती है, उदाहरणार्थ (सूची पूरी नहीं है):-

(i) इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जैव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान,....

(ii) समसामयिक विषय - जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण......

(2) भारत का कोई नागरिक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकता है ।

(3) जिस वर्ष के लिए प्रविष्टि आमंत्रित की गई है उसके तत्काल पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी एक वर्ष में यदि किसी व्यक्ति को इस योजना के अंतर्गत कोई पुरस्कार मिल चुका होगा तो उसकी प्रविष्टि संबंधित वर्ष के लिए विचारणीय नहीं होगी ।

(4) पुस्तक विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषण युक्त होनी चाहिए। उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी।

(5) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठ की हो ।

(6) यदि किसी वर्ष मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रविष्ट पुस्तकों में से कोई भी पुस्तक किसी भी प्रकार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

(7) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी ।

(8) ऐसी पुस्तकें जिन पर कोई भी अन्य पुरस्कार प्राप्त हुआ हो, इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार के लिए सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

7. प्रविष्टि भेजने की विधि :

(i) प्रविष्टि विनियमों के अंत में दिए गए प्रपत्र में भेजी जाएगी ।

(ii) पुरस्कार के लिए प्रविष्टि की जाने वाली प्रत्येक पुस्तक की तीन प्रतियां भेजनी होंगी, जो वापिस नहीं की जाएंगी ।

(iii) एक लेखक विचारार्थ एक से अधिक प्रविष्टियां भेज सकता है बशर्ते कि उसकी विषय - वस्तु परस्पर भिन्न हों ।

(iv) प्रविष्टियां निम्न पते पर परिपत्र/विज्ञापन में उल्लिखित अन्तिम तारीख तक पहुँच जानी चाहिए :-

अनुसंधान अधिकारी,
कार्यान्वयन अनुभाग, राजभाषा विभाग,
द्वितीय तल, लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली-110003

(v) इस विनियम के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रविष्टियाँ न भेजे जाने पर उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं होगा ।

8.मूल्यांकन समिति :

(1) प्रविष्टियों पर एक मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।

(2) प्रविष्टियां भेजने वाले लेखकों के निकट संबंधी मूल्यांकन समिति में नहीं लिए जाएंगे ।

(3) मूल्यांकन समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी पुस्तक के बारे में निर्णय देने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ/विशेषज्ञों की राय प्राप्त कर ले ।

(4) मूल्यांकन समिति मूल्यांकन के मानदंड स्वयं निर्धारित करेगी ।

(5) पुरस्कार देने के बारे में सर्वसम्मति न होने की स्थिति में निर्णय बहुमत द्वारा किया जाएगा । यदि किसी निर्णय के बारे में पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हों तो, अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

(6) मूल्यांकन समिति के सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता उसी स्रोत से मिलेगा, जिस स्रोत से उन्हें वेतन मिलता है । समिति के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए और संबंधित अवधि में लागू अनुदेशों के अधीन यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के अधिकारी होंगे।

(7) मूल्यांकन समिति के सदस्य राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय के भी अधिकारी होंगे।

9. पुरस्कार के बारे में घोषणा और पुरस्कार वितरण :

(i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जाएगी।

(ii) पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा । पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान के बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार ग्रहण करने के लिए प्रथम श्रेणी भारतीय रेल का किराया मिलेगा तथा ठहरने के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।

10. सामान्य :

(i) पुरस्कृत पुस्तक पर लेखक का कापीराइट अधिकार बना रहेगा ।

(ii) पुरस्कार प्रदान किए जाने अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तक चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा ।

(iii) मूल्यांकन समिति का निर्णय अन्तिम होगा ।

11. विनियम शिथिल करने का अधिकार :

जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

प्रपत्र

राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान -विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना

1. पुस्तक का नाम ....

2. पुस्तक योजना के किस पहलू/विषय के बारे में है ....

3. (i) लेखक/लेखकों का नाम...
   (ii) पूरा पता...
   (iii) दूरभाष संख्या...

4. (i) प्रकाशक का नाम...
   (ii) प्रकाशक का पूरा पता...
   (iii) मूल्य...
   (iv) प्रकाशन वर्ष..
   (v) कापी राइट किसके अधीन है..

5. क्या पुस्तक को पूर्व में किसी अन्य प्रतियोगिता में भेजा गया था, यदि हां, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें;
   (क) किस वर्ष में भेजी गई..
   (ख) किसे भेजी गई...
   (पूरा पता)...
   ....
   (ग) क्या कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें............
   ....

6. क्या लेखक को **राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना** के अंतर्गत कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरा दें -
   (i) पुरस्कार प्राप्त पुस्तक का शीर्षक..
   (ii) वर्ष जिसमें पुरस्कार प्राप्त हुआ...
   (iii) प्राप्त पुरस्कार की राशि..
   (iv) वर्ष जिसमें पुस्तक प्रकाशित हुई...
   (v) प्रकाशक का पूरा पता...
   (vi) पुस्तक का मूल्य..

7. मै/हम यह प्रमाणित करता हॅू/करती हॅू/करते हैं कि -
   (1) मैं/हम भारतीय नागरिक हॅू/हैं ।
   (2) पुस्तक मेरे/हमारे द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है.
   (3) मेरी/हमारी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कापीराइट का उल्लंघन नहीं होता है.

मैं/हम बचन देता हूॅ/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम "राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना" विनियम के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी/करेंगे.

लेखक/लेखकों के हस्ताक्षर...........................

स्थानः.........................
दिनांकः.......................

नोटः1. इस प्रपत्र को उचित प्रकार भरकर पुस्तक की तीन प्रतियों सहित

'अनुसंधान अधिकारी,
कार्यान्वयन अनुभाग, राजभाषा विभाग,
द्वितीय तल, लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली-110003'

को भेजा जाए.

2. लेखक द्वारा पुस्तक का विधिवत हस्ताक्षरित सारांश भी संलग्न किया जाए.

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

(एम. एल. गुप्ता)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद, (हरियाणा)